राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता बून्दी

Email:pobundiwe@mail.com phone no. 0747-2456117

क्रमांक :– मअ/साथिन चयन/2018/757–801 दिनांकः–11.09.2018

विज्ञप्ति संख्या 02/2018–2019

जिले की निम्न लिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतो में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, बून्दी में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कसं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	के.पाटन	रेबारपुरा, बोरदा काछीयान, करवाला की झोपड़िया, बड़ाखेड़ा, बाबई
2.	तालेड़ा	खड़ीपुरा, सूतड़ा, गणेशपुरा, खटकड़, बुधपुरा
3.	हिण्डोली	तलाबगांव
4.	नैनवां	बाछोला, मरा, गुढ़ादेवजी, समीधी, फुलेता, कैथुदा

1. आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए तथा उसके घर में शौचालय होने व उसके नियमित उपयोग संबंधी घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
2. साथिन हेतु न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना तथा विवाहित होना अनिवार्य है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 21–35 वर्ष, एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए 21–40 वर्ष, विधवा,तलाकशुदा,तथा परित्यक्ता के लिए 21–45 वर्ष होनी अनिवार्य है। आवेदक अपने प्रमाण–पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/आयु प्रमाण–पत्र/विवाह प्रमाण–पत्र/विधवा प्रमाण–पत्र/तलाकशुदा प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण–पत्र/कार्यानुभव प्रमाण–पत्र/बी.पी.एल प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4. आवेदक अपना आवेदन पत्र प्रचेता, ग्राम पंचायत, विभागीय वेबसाईट (**wcd.rajasthan.gov.in**), ई–मित्र अथवा इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में इस कार्यालय में मेल अथवा व्यक्तिश/डाक द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस के अन्दर शाम 5:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है।
5. श्रेणीवार प्राथमिकता परिशिष्ट ''ब'' पर दिये गए मुल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार देय होगी।
6. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग स्वयं सिद्धा भवन, बहादुर सिंह सर्किल बून्दी से प्राप्त की जा सकती है।
7. जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है उन ग्राम पंचायतों में उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यत किया जाएगा।
8. चयन परिपत्र कमांक 22420 दिनांक 05.07.2017 की विभागीय बेबसाइट पर उपलब्ध है।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नही होगी।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता बून्दी

Scanned by CamScanner

क्रमांक :– मअ/साथिन चयन/2018/757–801 दिनांकः– 11.09.2018

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान आयुक्त, निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी।
3. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास बून्दी।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त................................।
5. विकास अधिकारी समस्त...।
6. संरपंच व ग्राम पंचायत सम्बन्धित जिला बून्दी।
7. प्रोग्रामर निदेशालय महिला अधिकारिता जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड– जिला परिषद, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग बून्दी,
9. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बून्दी।
10. सम्बन्धित प्रचेता..........।
11. संस्थापन पत्रावली।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता बून्दी

Scanned by CamScanner